

आदेश:

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड/बीपीएड पाठ्यक्रम के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों हेतु सत्र 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों अथवा सत्र 2015-16 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से जो भी कम हो की प्रत्येक मान्यता के अनुसरण में सत्र 2017-18 के लिए सलग्न सूची अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों को केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने हेतु निम्न शर्तों/नियमों/अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद द्वारा जारी किया जाता है।

1. समस्त प्रदेश, केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से मेरिट के अन्वये पर प्रवेश दिये जावेंगे।
2. समस्त प्रदेश, केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से बी.पी.एड. कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत होगी।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि छात्रों से नहीं ली जावेगी। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित महाविद्यालय को मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायगा।
4. महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
5. महाविद्यालयों द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चिता की जावेगी।
6. राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी निजी शिक्षण महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 के लिए निर्धारित शुल्क राशि 25,000 रुपये राजकोष के बी.एड. महाविद्यालय : प्रति माह में जमा कराकर काउन्सिलिंग से पूर्व नोडल ऐजन्सी में एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय : प्रस्तुत करनी होगी।

अपुस्त  
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, (पुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, उपायुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (पुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समन्वयक पी.टी.ई.टी. 2017 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित है कि काउन्सिलिंग से पूर्व राजकोष में जमा निर्धारित शुल्क राशि का ई-बालान रसीद प्राप्त करें।
7. समन्वयक बी.पी.एड./एम.पी.एड. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित है कि काउन्सिलिंग से पूर्व राजकोष में जमा निर्धारित शुल्क राशि का ई-बालान रसीद प्राप्त करें।
8. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख है कि संस्थाओं का सम्बन्ध एड शीट ही जारी करने का क्षम करें।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर कॉलेज, मन्वी सिंह, जयपुर।
10. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना (एन.आई.सी.) शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. वेबमास्टर प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।
13. सचिव/प्राचार्य, समस्त संबंधित महाविद्यालय।
14. रक्षित फाइल में।

स (का) निदेशक (निजी संस्था)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर